



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०-273/2023 धारा-376(3),450 भा०द०सं० व 4 पाक्सो एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामरतन पुत्र सत्तीदीन निषाद निवासी जैरैली मडैया, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹13,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी० गुलाब चन्द्र
सोनकर



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० रजनीश कुमार